सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2017/00051

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ

पीठासीन अधिकारी – हरिसिह लंम्बोरा (आर0 ए0 एस0)

प्रकरण संख्या– 24/2017

सुरेश पुत्रश्री रामरूवरूप जाति ठाकुर निवासी तसीमो तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

– – – – वादी

बनाम

1–रतनसिह पुत्र रामस्वरूप जाति ठाकुर निवासी तसीमो तहसील सैपऊ 2–रेशो पत्नी भंवरसिह 3–अशोक 4–बीरेन्द्र पुत्रगण भंवरसिह 5–सोवरन 6–रामेश्वर 7–हरीसिह पुत्रगण ग्यानी जातिगण ठाकुर निवासीगण तसीमो तहसील सैपऊ

8–पंजाब नेशनल बैंक शाखा सैपऊ जरिये शाखा प्रवन्धक

9–बी0आर0के0जी0बी0 शाखा सैपऊ जरिये शाखा प्रवन्धक

10–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर

– – – – प्रतिवादीगण

दावा बटवारा काश्त एंव स्थाई
निषेधाज्ञा धारा 53,188 ओटीए

उपस्थिति –1–श्री शेषकुमार शर्मा एडवोकेट .... (वादी)

निर्णय दिनांक 13.06.2019

वादी द्वारा उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में दिनांक 20.02.2017 को वास्ते बटवारा काश्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 1735, 1736, 1737, 2014, 2553/2900 स्थित वाके ग्राम तसीमो तहसील सैपऊ का पेश किया । दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया । प्रतिवादीगण उपस्थित आये एंव बटवारा कराने की सहमति जाहिर की तथा गुणावगुण के आधार पर दिनांक 06.06. 2018 को दावा प्रारंभिक रूप से डिकी किया जाकर विवादित आराजीयात का वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य उनके नाम रिकार्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन कर तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिये गये कि वह अच्छी में से तथा बुरी में से बुरी आराजी के पक्षकारो के रिकार्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें

तहसीलदार सैपऊ ने अपने पत्र कमांक:राजस्व/2019/107 दिनांक 04.02.2019 से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें हैं । तहसीलदार सैपऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्तावों पर विद्वान अभिभाषक वादी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया । विवादित आराजी में वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार हैं । तहसीलदार सैपऊ ने प्रेषित विभाजन प्रस्तावों में वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से में रिकार्ड में दर्ज भूमि के अनुसार ही भूमि प्रस्तावित की है । इस प्रकार तहसीलदार सेपऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही हैं। तहसीलदार द्वारा विभाजित

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

खसरा नम्बरों के वावत् प्रस्तावित तरमीम नक्शा भी प्रेषित किया है । ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री करना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम तसीमो तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :–

1. सुरेश पुत्रश्री रामस्वरूप कौम ठाकुर सा0 देह खातेदार राहिन एसबीआई शाखा तसीमो मु0बि0क0

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा बीघा में	लगान
1.	2553/2900/2	1.00	1.00
2.	1736/2	1.02	4.40
3.	2553/2900/3	1.00	1.00
4.	1737	0.02	—
5.	2014/2	0.08	3.20
योग	5	3.12	9.60

2. रतनसिह पुत्र रामस्वरूप हि0 1/2 राहिन बीआरकेजीबी शाखा सैपऊ, रेशो पत्नी भंवरसिह, अशोक, बीरेन्द्र पुत्रांन भंवरसिह हि0 1/2 कौम ठाकुर सा0 देह खातेदार

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	लगान
1.	1735	1.15	9.38
2.	1736/1	0.13	2.60
3.	2014/1	0.09	3.60
4.	2014/3	0.08	3.20
योग	4	3.05	18.78

3. सोवरन, रामेश्वर पुत्रांन ग्यानी हि0 बराबर 2/5 विलारहन, हरीसिह पुत्र ग्यानी हि0 1/5 राहिन एस0बी0आई0 शाखा तसीमो मु.बि.क., रतनसिह पुत्र रामस्वरूप हि. 1/5 राहिन बीआरकेजीबी शाखा सैपऊ कौम ठाकुर सा0 देह, मुन्नीदेवी पत्नी भूपसिह हि0 1/8 कौम कुशवाह सा0 तालटा, ममोधन तहसील वसेडी, रामादेवी पत्नी रामवीर हि0 3/40 कौम कुशवाह निवासी ऊटगिरि रोड खेरागण जिला आगरा

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	लगान
1.	2553/299/1	10.02	10.10
योग	1	10.02	10.10

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

कि विभाजित खसरा नम्बरान की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे । लगान के 20 गुणा राशि पर देय मुन्द्रांक शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.06.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(हरिसिह लंम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ